न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 16/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/38

मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पो.ऑ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 22.04.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्रांक सूकाअ/24/3532 दिनांक 03.04.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय रायसिंहनगर से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक/सूकाअ/24/3479 दिनांक 12.03.2024 द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। अपील दाखिल दफ्तर करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्रांक 3479 दिनांक 12.03.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिस अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर को आवेदक का प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। परन्तु पत्र की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित नहीं की गयी ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी को उनके आवेदन पत्र पर की गयी कार्यवाही के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया हो।

प्रत्यर्थी को चाहिए था कि यदि वांछित सूचनाएं उनके कार्यालय से संबंधित नहीं थी तो वे आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के पांच दिवस के भीतर हस्तांतरित कर आवेदक को सूचित करते। परन्तु प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया हैं। ना ही अपीलार्थी/आवेदक को उनके आवेदन पत्र पर की गयी कार्यवाही के संबंध में कोई सूचना प्रेषित की गयी। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे इस निर्णय की प्रति के प्राप्ति के सात दिवस के भीतर आवेदक/अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर नियमानुसार [illegible] पारित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी/अपीलार्थी प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:18:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.04.2024 को लिखवाया जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़